न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—90 / 19 (2019 / 00225) वाद पत्र

अनवान

1—मीठुदेवी पत्नि मदनलाल जाट निवासी खानणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—ललीतादेवी पत्नि सुरेशचन्द्र जाट निवासी खानणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—विनोद आत्मज भागीरथ जाट निवासी खानणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—नेनुड़ी पत्नि भागीरथ जाट निवासी खानणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—शंकरी पत्नि विनोद जाट निवासी खानणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—धन्ना आत्मज लच्छीराम जाट निवासी खानणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—प्रेमी पत्नि धन्ना जाट निवासी खानणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 05.08.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खानणिया तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी मे वादीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 507 रकबा 0.66 है0 भूमि स्थित है जिसमे वादीया संख्या 1 का 2/3 हिस्सा व वादिया संख्या 2 का 1/3 हिस्सा निहित है प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 तक साथ प्रस्तुत की है। उक्त आराजी पर वादीगण का सामलाती रूप से हक अधिकार एवं आधिपत्य वक्त क्रय से चला आ रहा है। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नही है फिर भी प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से आये दिन उक्त अराजी पर अवैध रूप से नाजायज रूप से कब्जा जमाने की नियत से वादीगण को परेशान करते है व लाठी के बल पर उक्त आराजी की घास व पशु चरा कर नष्ट करवा देते है व आराजी में खड़े वृक्ष काट देते है व नाजायज कब्जा जमाने पर आतुर व तत्पर रहते है जिनको स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना नितान्त आवश्यक है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम खानणिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित वादीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी संख्या 507 रकबा 0.66 है0 भूमि से वादीगण को जबरन बेदखल नही करे तथा वादीगण को उनकी खातेदारी का उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक तरीके से करने देवें तथा वादग्रस्त आराजियात में कोई नाजायज दखदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे। प्रतिवादीगण अपने पशु वादग्रस्त आराजी में चराकर घास व फसल को नष्ट नही करावें व वृक्ष व बाड़ को नही काटे। दोराने वाद कार्यवाही यदि प्रतिवादीगण वादीगण को जबरन ताकत के बल पर वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर देवे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञप्ति के कब्जा पुनः प्रतिवादीगण से वादीगण दिलाया जावें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किया गया। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 बावजुद सूचना के उपस्थिति नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता दोराने बहस निवेदन किया कि वादीगण खातेदार है ओर प्रतिवादीगण जबरन नाजायज परेशान करते है और वादीगणो को लाठी के बल पर नुकसान पहुचाते है वादीगण महिलाएं है जिससे प्रतिवादीगण से मुकाबला नही कर सकती है अतः विपक्षीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि वादीगण ग्राम खानणिया की वादग्रस्त आराजी नम्बर 507 के खातेदार है प्रतिवादीगण का उक्त आराजियात के सम्बन्ध में कोई हक अधिकार नही है। वादीगण के वाद व साक्ष्य के अनुसार प्रतिवादीगण वादीगण को नाजायज नुकसान पहुचाते है, पशु चराते है या कब्जा जमाने की कोशिश करते है ऐसी स्थिति में उनके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी जारी किया जाना न्यायोचित है

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्व इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम खनणिया तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी मे वादीगण के स्वामित्व की कृषि आराजी संख्या 507 रकबा 0.66 है0 भूमि में वादीगण को उनकी खातेदारी का उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक तरीके से करने देवें तथा उक्त आराजियात में कोई नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे और न किसी प्रकार का वादीगण को नुकसान पहुँचाएं इसी अनुसार डिकी जारी हो खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5.8.2020

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
रायपुर (भीलवाड़ा)

सत्यमेव जयते

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–90 / 19 (2019 / 00225) वाद पत्र

अनवान

1–मीठुदेवी पत्नि मदनलाल जाट निवासी खानणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2–ललीतादेवी पत्नि सुरेशचन्द्र जाट निवासी खानणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–विनोद आत्मज भागीरथ जाट निवासी खानणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2–नेनुड़ी पत्नि भागीरथ जाट निवासी खानणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3–शंकरी पत्नि विनोद जाट निवासी खानणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4–धन्ना आत्मज लच्छीराम जाट निवासी खानणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

5–प्रेमी पत्नि धन्ना जाट निवासी खानणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्व इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम खनणिया तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी मे वादीगण के स्वामित्व की कृषि आराजी संख्या 507 रकबा 0.66 है0 भूमि में वादीगण को उनकी खातेदारी का उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक तरीके से करने देवें तथा उक्त आराजियात में कोई नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे और न किसी प्रकार का वादीगण को नुकसान पहुँचाएं इसी अनुसार डिक्री जारी हो खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5.8.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda

Date: 2020.08.22 17:03:59 IST

Reason: SelfAttested

Location: